न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 136/2013

निर्णय दिनांक 28.4.2015

जीसीएमएस नम्बर 2013/00130

1. गीतादेवी पत्नी स्व. भंवरलाल जाति माली निवारी बिग्गा बास, श्रीडूंगरगढ़
2. नेताराम
3. सीताराम
4. ख्यालीराम
5. मनोज कुमार

(2–5) पुत्रगण भंवरलाल जाति माली निवारीगण बिग्गाबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

6. ओमप्रकाश पुत्र स्व. भंवरलाल जाति माली जरिये अपने मुखत्यारआम नेताराम पुत्र स्व. भंवरलाल जाति माली निवासी बिग्गाबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादीगण—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. राजकीय कन्या महाविद्यालय श्रीडूंगरगढ़ जरिये प्रिसिंपल सदूदेवी पारख, राजकीय कन्या महाविद्यालय श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री ओमप्रकाश पंवार अभिभाषक वादीगण।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. श्री गोपीराम जानू अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 2

दावा बाबत दुरस्ती नक्शा (रिकॉर्ड) व चिरनिषेधाज्ञा

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का दावा निम्न प्रकार से सादर प्रस्तुत है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1180 तादादी 0.01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1498/1181 तादादी 8.78 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। जिसके पुराने खसरा नम्बर 500/6 तादादी 39 बीघा 15 बिस्वा है। जिसमें से 1.26 हैक्टेयर भूमि किसनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति डागा माहेश्वरी को विक्रय कर दी गई जिसका विभाजन हो चुका है। जिसके नये खसरा नम्बर 1497/1181 तादादी 1.26 हैक्टेयर है, जिसका खाता अलग हो चुका है। वादीगण का उक्त खेत नैशनल हाईवे नम्बर 11 के चिपते ही दक्षिण दिशा में स्थित है, जिसके आसा पासा निम्न प्रकार है।

उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
नेशनल हाईवे, नम्बर 11	रतनलाल गुर्जर	मोहनलाल डागा	रतनलाल गुर्जर किसनलाल डागा व श्रीहनुमान धोरा की भूमि

वादीगण के पति/पिता भंवरलाल पुत्र केशराराम जाति माली के नाम रोही श्रीडूंगरगढ़ में खसरा नम्बर 500 में से 39 बीघा 15 बिस्वा भूमि सन् 1961 में अलोट हुई थी। जिसके खसरा नम्बर 500/6 तादादी 39 बीघा 15 बिस्वा हुये व उस समय मौके पर हल्का पटवारी ने कब्जा वादीगण के पति/पिता भंवरलाल को सुपुर्द किया गया था। उस समय मौके पर नेशनल हाईवे नम्बर 11 पर 346 मीटर मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया था जिसमें से 1.26 हैक्टेयर भूमि सन् 1980 में वादीगण के पिता भंवरलाल ने किसनलाल डागा को विक्रय कर दी जिसमें वादीगण के खेत की

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.28 17:59:57 IST
Reason: SelfAttested

उत्तरी सीमा पर नेशनल हाईवे नम्बर 11 की 74 मीटर भूमि किसनलाल डागा को विक्रय की गई थी। उसके बाद से आज तक वादीगण के खेत के उत्तर में 272 मीटर तक नेशनल हाईवे नम्बर 11 है। तब से आज तक कब्जा कास्त मौके पर उसी अनुसार चला आ रहा है। वादीगण के पति/पिता भंवरलाल को उस समय हल्का पटवारी द्वारा खेत की पास बुक दी गई उसके साथ संलग्न नक्शा के अनुसार वादीगण का कब्जा कास्त आज तक मौजूद है। खसरा नम्बर 500 काफी बड़ा खसरा था। जिसमें से मौके पर काफी काश्तकारों को जमीन अलोट हुई थी व मौके पर कब्जा भी दे दिया था व पटवारी द्वारा काश्तकारों को जो पास बुके दी गई थी। उनमें भी मौके के अनुसार नक्शा बनाकर दिया था। परन्तु रेकार्ड में खसरा नम्बर 500 को एकल ही दिखा रखा था। नक्शा में तरमीम नही किया गया था परन्तु जो काश्तकारों को पास बुक जारी की गई थी उसमें पास बुक के साथ मौके के अनुसार नक्शा बनाकर दिया गया था। सन् 2003 में सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व कर्मचारियों ने वादीगण को बिना सूचना व नोटिस दिये व बिना मौके की जांच किये मौके कि स्थिति के विपरित वादीगण के खेत खसरा नम्बर 1498/1181 तादादी 8.78 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1180 तादादी 0.01 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ की भूमि की तादादी तो सही वादीगण के नाम लिख दी। परन्तु बिना मौके की जांच किये प्रतिवादी के मातहत कर्मचारियों ने अपने कार्यालय में बैठकर नक्शा में गलत रूप से वादीगण के खेत की उत्तरी दिशा की सीमा 160 मीटर ही नेशनल हाईवे नम्बर 11 पर दिखाई है, जो मौके की स्थिति के बिलकुल विपरित राजस्व रेकार्ड नक्शा में गलत रूप से अंकित की गई है। जबकि मौके पर वादीगण के खेत की उत्तरी सीमा नेशनल हाईवे नम्बर 11 पर 272 मीटर तक है जो आज भी जब से वादीगण के पति/पिता को उक्त खेत की खातेदारी अलोट हुई तब से आज तक कब्जे काश्त में चली आ रही है व वादीगण ने उक्त खेत के चारों तरफ कांटों की बाड़ कर सीमाबंदी कर रखी है व सीमा बना रखी है जो मौके पर आज भी सींव मौजूद है। वादीगण ने दिनांक 11.06.2013 को अपने खेत की के. सी. सी. बनाने के लिये जब हल्का पटवारी से जमाबन्दी व नक्शा लिया व उन्हें देखा तब उन्हें पता चला की उसके खेत खसरा नम्बर 1498/1181 तादादी 8.78 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1180 तादादी 0.01 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ की उत्तरी सीमा का जो नक्शा बनाया गया है वह मौके की स्थिति के बिल्कुल विपरित बनाया गया है। सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों ने बिना मौके की जांच किये अपने कार्यालय में बैठकर गलत नक्शा तैयार किया है। इस गलत नक्शे के अंकन से वादीगण को अपूर्तीय क्षति हो रही है। इसलिये राजस्व रेकार्ड व नक्शे के अंकन को सही करवाना वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है। जिसके लिये उसने तहसीलदार महोदय से निवेदन किया तो उन्होने कहा कि इसमें हम कुछ नही कर सकते आप एस.डी. एम. कोर्ट से दावा करके ही संशोधन करवायें। इसलिये वादीगण के लिए नक्शा में संशोधन करवाना आवश्यक हो गया है। इसलिये रेकार्ड दूरूस्ती व नक्शा में संशोधन का यह दावा पेश किया जा रहा है। दिनांक 26.06.2013 को प्रतिवादी के मातहत कर्मचारी हल्का पटवारी ने वादीगण के खेत में आकर कहा कि तुम्हारे खेत की उत्तरी सीमा से तुम्हें बेदखल करेगें क्योकि जो सेटलमेन्ट में नक्शा बना है। उसमें आपके खेत की उत्तरी सीमा कम दिखाई हुई है इसलिये तुम्हें मौके पर से बेदखल कर देगें। इसलियें वादीगण के लिये रेकार्ड दूरूस्ती के साथ–साथ अपने अधिकारों व कब्जे काश्त की भूमि की सुरक्षा हेतु प्रतिवादी के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा प्राप्त करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहा है। खेत खसरा नम्बर 1498/1181 तादादी 8.78 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1180 तादादी 0.01 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ की उत्तरी सीमा का नक्शा सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीयों ने मौका की स्थिति के विपरित बनाकर बिना मौके पर गये वादीगण के खेत की उत्तरी सीमा नेशनल हाईवे नम्बर 11 पर 272 मीटर थी उसे मौके पर 160 मीटर नक्शा में गलत दिखाकर अंकन किया है। इसलिए वादीगण द्वारा नक्शा में दूरूस्ती करवाने के लिए वादीगण द्वारा यह दावा पेश किया जा रहा है। प्रतिवादी के मातहत कर्मचारीयों द्वारा दिनांक 26.06.2013 को वादीगण को उनके कब्जा काश्त की भूमि की उत्तरी सीमा से बेदखल करने की धमकी दी गई धमकी देने के दिनांक से वादीगण को प्रतिवादी के विरूद्ध वादहेतु प्राप्त है व वादगत खेत वादीगण को खातेदारी व कब्जे कर कब्जा काश्त उपयोग–उपभोग

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.28 17:59:57 IST
Reason: SelfAttested

चले आने से वादीगण को वादाधिकार प्राप्त है। वादी संख्या 6 आसाम राज्य में अपने रोजगार में व्यस्त होने के कारण उक्त कृषि भूमि में अपने हिस्से की सार सम्भाल आदि करने में असमर्थ है। इसलिये वादी संख्या 6 का मुखत्यारआम नेताराम पुत्र स्व. भंवरलाल जाति माली निवासी बिग्गावास श्रीडूंगरगढ़ उक्त कृषि भूमि में उनके हिस्से की देखभाल करता है। व वादी संख्या 6 के हिस्से से सम्बन्धित सभी कार्य करता है। प्रतिवादी भू-स्वामी है व रेकार्ड का संधारणकर्ता है। इस दावा से प्रतिवादी के हितो पर कोई विपरित असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि रेकार्ड में नक्शा की दूरूस्ती होनी है। वादीगण का दावा भी दुरूस्ती रेकार्ड का है। प्रतिवादी के कर्मचारीयों द्वारा वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी गई है यदि प्रतिवादी को 80 सी. पी. सी. का 2 माह का नोटिस दिया जाता है तो नोटिस की अवधी के दौरान वादीगण की मौका स्थिति में परिवर्तन कर दिया गया तो वादीगण का दावा करने का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। दावा में वादीगण द्वारा ऐसा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। जिससे स्टेट के हितों पर विपरित असर पड़ता है। फिर भी कानूनी आपतियों को ध्यान में रखकर नोटिस की अनिर्वायता को समाप्त करने के लिये अलग से 80 (2) सी. पी. सी. के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नोटिस की अनिवार्यता की छूट प्राप्त कर दावा पेश किया जा रहा है। उक्त खेत रोही श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। इसलिये न्यायालय श्रीमान् को दावा को सुनने का पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। दावा निर्धारित कोर्ट फीस पर हर तरह से अन्दर मियांद पेश है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है वादीगण का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे।

(क) कि वर्तमान खेत खसरा नम्बर 1498/1181 व खसरा नम्बर 1180 तादादी क्रमशः 8.78 हैक्टेयर व 0.01 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ की उत्तरी सीमा नेशनल हाईवे नम्बर 11 पर नक्शा में संशोधित करके 272 मीटर मौके की स्थिति के अनुसार की जावे व नक्शा में उसी दूरूस्ती की जावे।

(ख) कि प्रतिवादी को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे कि वादीगण को मौंके व उनके कब्जा काश्त के खेत से बेदखल नहीं करें।

(ग) कि अन्य कोई अनुतोष जो हितकर वादीगण हो या दौराने दावा हितकर वादीगण हो जावे वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावे ।

(घ) कि खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी से दिलवाया जावे ।

वादीगण के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीग को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। वाद में तनकीयात कायम की गई। वादीगण की ओर से सीताराम,नेताराम,जगदीश के शपथ पत्र साक्ष्यवादी हेतु पेश किये गये। दौराने वाद स्टेट की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा अनुसार वाद में राजकीय कन्या महाविद्यालय श्रीडूंगरगढ जरिये प्रिसिंपल सदूदेवी पारख, राजकीय कन्या महाविद्यालय श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर को वाद में प्रतिवादी संख्या 02 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने जवाबदावा पेश किया गया। वादीगण की ओर से PW-1 सीताराम, PW-2 नेताराम, PW-3 जगदीश के बयान लेखबद्ध किये गये। वादी द्वारा ओर साक्ष्यवादी पेश नहीं करनें का निवेदन किया गया। लिहाजा साक्ष्यवादी बन्द की गई। वकील प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा जिरह पूर्ण की गई। प्रतिवादी संख्या 02 ने साक्ष्यप्रतिवादी पेश नहीं करनें का निवेदन किया गया। लिहाजा साक्ष्यप्रतिवादी बन्द की गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। संक्षेप में वादीगण वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.28 17:59:57 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

खेत खसरा नंबर 1180 तादादी 0.01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1498/1181 तादादी 8.7800 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ की तरमीम प्रतिवादी संख्या 02 राजकीय कन्या महाविद्यालय श्रीडूंगरगढ जरिये प्रिसिंपल सदूदेवी पारख, राजकीय कन्या महाविद्यालय श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर के भवन व खातेदारी भूमि के हितो को सुरक्षित रखतें हुए मौका कब्जा अनुसार कर नक्शा दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.4.2025 को मेरे द्वार लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.28 17:59:57 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री
मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल

उनवान

1. गीतादेवी पत्नी स्व. भंवरलाल जाति माली निवासी बिग्गा बास, श्रीडूंगरगढ़
2. नेताराम
3. सीताराम
4. ख्यालीराम
5. मनोज कुमार

(2–5) पुत्रगण भंवरलाल जाति माली निवासीगण बिग्गाबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

6. ओमप्रकाश पुत्र स्व. भंवरलाल जाति माली जरिये अपने मुखत्यारआम नेताराम पुत्र स्व. भंवरलाल जाति माली निवासी बिग्गाबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. राजकीय कन्या महाविद्यालय श्रीडूंगरगढ़ जरिये प्रिसिंपल सदूदेवी पारख, राजकीय कन्या महाविद्यालय श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

दावा बाबत चिरनिषेधाज्ञा, रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर 136/2013

निर्णय दिनांकः 28.04.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से अधिवक्ता ओमप्रकाश पंवार एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पैरोकाराराज व प्रतिवादी संख्या 2 राजकीय अधिवक्ता श्री गोपीराम जानू मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नंबर 1180 तादादी 0.01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1498/1181 तादादी 8.7800 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ की तरमीम प्रतिवादी संख्या 02 राजकीय कन्या महाविद्यालय श्रीडूंगरगढ़ जरिये प्रिसिंपल सदूदेवी पारख, राजकीय कन्या महाविद्यालय श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के भवन व खातेदारी भूमि के हितो को सुरक्षित रखतें हुए मौका कब्जा अनुसार कर नक्शा दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें ।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 28 माह 04 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.28 17:59:57 IST
Reason: SelfAttested